and medium tractors costlier by ten to twenty thousand per tractor;

(c) if so, whether Government propose to withdraw the enhanced taxes on the tractor to give relief to farmers;

(d) whether Government withdraw these concessions;

(e) whether Government are aware that they were not passed on by the manufacturers to the customers/farmers; and

(f) if so, whether Government have taken action against the defaulters, the details?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) to (f) Sales Tax is a State subject under the Constitution. The State Governments alone have the powers to grant remission and concession or to rationalise the sales tax structure in their respective States.

Finance Scheme of Punjab & Sind Bank for Farmers

5426. SHRI IQBAL SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have started a new scheme for farmers introduced by the Punjab and Sind Bank to make available bank finance for the horticulture projects on banjar or the unproductive land;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the said scheme will initially be confined to Punjab State only;

(d) if so, the reasons therefor;

(e) whether the Scheme will be extended to other States as well; and

(f) if so, by when it is likely to be extended and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASEKHAR MURTHY): (a) to (f) Punjab and Sind Bank, in consultation with the State Government of Punjab, has taken a policy decision to encourage horticulture and other related activities such as farm forestry etc. on lands identified as "Banjar Kadeem". Security of such land will be accepted by the bank by way of mortgage or creation of charge in State of Punjab by the bank provided the Directorate of Horticulture gives a certificate that the land in question is fit for horticulture purposes. The loan is being granted for horticulture development on the same land. The Bank is confining the Scheme initially to Punjab State but could consider extending the same to other States depending upon technical feasibility and economic viability, after studying the results of Punjab State.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन

5427. श्री ईश दत्त यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के बारे में कोई परामर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो परामर्श की प्रक्रिया के अन्तर्गत कौन से कार्य किये जा चुके हैं; और

(ग) यह मामला विचारण की किस अवस्था में है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए परामर्श की प्रक्रिया शुरू की थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए कई वैकल्पिक नीतियों पर विचार करने के बाद वित्त मंत्री ने 28-2-1994 को अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि उनके सुझाव पत्रों को निर्बंध बनाने और इनमें नई पूंजी लगाने सहित उनके विस्तृत पुनर्गठन के लिए 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 50 बैंकों को लिया जाएगा। इन 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अनुभव जाने वाले वर्षों में दूसरे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करेगा।

उत्तर प्रदेश में ऋण राहत योजना

5428. श्री ईश दत्त यादव :क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में कितने किसानों तथा ग्रामीण कारीगरों ने ऋण राहत योजना का लाभ उठाया है;

(ख) सितम्बर, 1994 के बाद उत्तर प्रदेश के जिले कितनी

धनराशि जारी की गई है; और

(ग) बकाया राशि कब तक जारी कर दिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उत्तर प्रदेश में, कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के तहत 51,81,991 हिताधिकारियों को जिनमें किसान, खेतीहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर और बुनकर शामिल हैं, ऋण राहत प्रदान की गयी ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राहत के सम्पूर्ण भार की जिम्मेदारी लेने और सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई राहत के लिए अनुदान के रूप में 50 प्रतिशत सहायता प्रदान करने का वादा किया था। सहकारी ऋण संस्थाओं के संबंध में योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राहत का शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), जिससे योजना के अंतर्गत दावों के कार्यान्वयन और प्रतिपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ने सूचित किया है कि उनके द्वारा बट्टे-खाते डाले गए ऋणों की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (यूपीएससीबी) और उत्तर प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक (यूपीएसएलडीबी) द्वारा दायर किये गये 645.33 करोड़ रुपए के कुल दावों के लिए उन्हें 571.14 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की गई। इस प्रतिपूर्ति की राशि में से 248.78 करोड़ रुपए की राशि उपर्युक्त सहकारी बैंकों को 31 दिसम्बर, 1991 के बाद जारी की गई। शेष राशि के जारी करने पर नाबार्ड द्वारा तभी विचार किया जाएगा जब उसके अनुदेशों का विधिवत रूप से पालन करते हुए, यूपीएससीबी और यूपीएसएलडीबी के *अंतिम/संशोधित दावों की प्राप्ति, उपात्त दावों और ईंडात्मक* और चक्रवृद्धि ब्याज को छोड़ते हुए दी जाए। नाबार्ड को संशोधित दावे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

पूंजी निर्माण दर में गिरावट

*5429. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1990-91 में पूंजी निर्माण दर 26.3 प्रतिशत से गिरकर 1991-92 में 25.5 प्रतिशत रह गई;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) बचत दर बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सकल पूंजी निर्माण की दर, जैसाकि सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल पूंजी निर्माण के अनुपात द्वारा मापा गया है, चालू कीमतों पर 1991-92 में 24.2 प्रतिशत थी, जबकि 1990-91 में यह 27.4 प्रतिशत थी। परिसम्पत्तियों और संस्थाओं के विधि के अनुसार सकल पूंजी निर्माण से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिये)। बचतों को बढ़ाने के लिए विशेषकर घरों में सुधार लाना अत्यावश्यक है जो बचत की आदतों पर निर्भर करती है। इसमें वित्तव्यवस्था में वृद्धि दर, राजकोषीय घाटे का स्तर, कर नीतियां, मुद्रा स्फीति, वैकिंग प्रणाली और पूंजी बाजारों की कार्य कुशलता व वित्तव्यवस्था में विश्वास शामिल है। अभी तक अपनाए गए विभिन्न वित्तीय सुधारों के कुल बचतों पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

विवरण

परिसम्पत्तियों की विधि द्वारा तथा संस्थाओं की विधि द्वारा पूंजी निर्माण

(चालू कीमतों पर)

(करोड़ रुपए)

मद	1990-91	1991-92
1	2	3
1. सकल पूंजी निर्माण	141851	147735
1.1 सरकारी क्षेत्र	55662	61764
1.2 निजी नेगमित क्षेत्र	24703	27900
1.3 घरेलू क्षेत्र	61486	58071
2. सकल निर्धारित पूंजी निर्माण	121189	135260
2.1 सरकारी क्षेत्र	50251	58749
2.2 निजी नेगमित क्षेत्र	20291	25630
2.3 घरेलू क्षेत्र	50647	50881